

16.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I also submit that there must be a provision for advertising the names of those people who commit tax evasion. I say that the All India Radio should be used once a week for publicising the names of the tax-evaders. Let them know that their names are going to be made public. There should be no mercy to the tax-evaders. When all of us are asked to tighten our belt so that the Plans can be worked, the tax-dodgers and tax-evaders go about to foreign countries and have private accounts there and make the most out of their money. I am of the opinion that even if we introduce public flogging, most of these tax-evaders will submit themselves to it rather than pay the money. That is the position. Even so, let the country know who those people are and that they worship only money.

I find, Sir, that you are becoming impatient and you are about to ring the bell. So, I think I should yield to your desire. I could have very well understood that, if I had gone out of context in one word. I have been confining myself to the point throughout. But I quite realise your difficulty. I could have gone on explaining the provisions and pointing out how they were insufficient in the present context and kept the House engaged for three or four hours. I do not want this House to be again made the subject of ridicule and be put to disrepute as has been done in the past. What the Law Commission says is partially true, as is seen from the attitude of the hon. Minister who brings forward this massive piece of legislation two days before it is taken up and wants it to be referred to the Committee after a discussion of one and a half hours. I want that the Select Committee should spare no efforts and leave no stone unturned to go into the minutest details which are necessary and when this Bill

emerges from, the Committee, let us hope it will be a Bill which will be worth having.

17 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: The discussion will be continued tomorrow. We shall now take up the Half-an-Hour discussion.

Shri N. R. Muniswamy: On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Discussion on this subject is adjourned.

Shri N. R. Muniswamy: This is very important. I did not want to interrupt the previous speaker.

Mr. Deputy-Speaker: That business is over; we have taken up the Half-an-hour discussion.

Shri N. R. Muniswamy: Shall I raise it tomorrow?

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

17.02 hrs.

BEEF SERVED IN ASHOKA HOTEL*

श्री प्रकाशचौर शास्त्री (गुडगांव) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे प्रश्न को इस सदन में उपस्थित करने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय का मस्तिष्क लज्जा से झुक जायेगा वह यह है कि भारत सरकार के संरक्षण में आज दिल्ली में अशोक होटल के नाम से जो एक बहुत बड़ा होटल चलाया जा रहा है उसमें गोमांस का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। अब से कुछ समय पहले मैंने ४ मार्च, सन् १९६१ को अशोक होटल में गोमांस परोसे जाने के संबंध में एक प्रश्न पूछा था। मेरे उस प्रश्न का उत्तर देते हुये उपमंत्री महोदय श्री अनिल के० चन्दा ने यह उत्तर दिया था :—

“अशोक होटल में ठहरने वाले लोगों में से ६० प्रतिशत विदेशी होते

*Half-an-hour Discussion.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हैं। उनमें से अनेक गोमांस से बने व्यंजन परोसा जाना पसंद करते हैं। ये व्यंजन उन लोगों में काफी लोकप्रिय से हैं। इस लिये अशोक होटल में, दिल्ली के अन्य होटलों की भांति गोमांस से बने व्यंजन परोसे जाते हैं, किन्तु केवल उन्हीं लोगों को, जो उनके लिये आर्डर देते हैं। गोमांस दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। सदा की भांति गोमांस की आवश्यक मात्रा के संभरण के लिये टैंडर मांगे गये हैं। दिल्ली में गोमांस के प्रयोग की न तो सांविधिक रूप से और न कार्यपालिका के किसी आदेश द्वारा मनाही है। इसलिये दिल्ली में किसी भी होटल को इस बात के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।”

मैं कहना इस संबंध में यह चाहता हूँ कि आपने इसमें यह कहा है कि ६० प्रतिशत: यात्री जोकि इस होटल में आकर ठहरते हैं, विदेशी होते हैं। अब मेरी जानकारी इस संबंध में यह है कि जिस समय यह होटल आरम्भ हुआ था उस समय यह बात सत्य थी कि इसमें ठहरने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या ६० प्रतिशत लगभग थी लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों इस होटल में ठहरने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन एक बात देख कर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा कि जब विदेशी यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है और भारतीय यात्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तब इस अशोक होटल में गोमांस की खपत धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही है अपेक्षाकृत इसके कि वह कम होती।

मैं विशेष रूप से एक और बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा इसको बतलाइये तो सही कि जब कोई विदेशी यात्री हिन्दुस्तान आता है, यहां के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक स्थानोंको देखने के लिये हमारे देश में आता है तो क्या वहां से यह इरादा करके चलता है कि है कि मैं किसी ऐसे होटल में ठहरूंगा कि जहां गोमांस दिया जायेगा? दिल्ली के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी जब उन्हें जाना पड़ता है तो जिन दूसरे प्रांतों में उन्हें जाना पड़ता है क्या उन सब स्थानों में भी उनके लिये गोमांस की व्यवस्था रहती है?

सब से बड़ी आवश्यक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले इस तरह का एक अध्यादेश जारी किया था कि शासन की ओर से जितनी भी बड़ी बड़ी दावतें दी जायेंगी उनमें शराब के ऊपर प्रतिबन्ध रहेगा। जब शासन इस प्रकार का निर्णय शराब के लिये ले चुका है तब सरकारी संरक्षण में जो होटल चल रहा है उसमें गोमांस का प्रयोग हो यह तो एक बहुत ही हीन और लज्जा की सी बात मालूम पड़ती है।

एक बात जो मैं उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि गऊ जहां हमारे भारत की आर्थिक स्थिति का एक बहुत बड़ा आधार है वहां इस बात को कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है अपितु और गौरव को अनुभव करता हूँ कि गाय का धार्मिक दृष्टि से भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्थान है। गाय के संबंध में ऋग्वेद में एक स्थान पर इस प्रकार से चर्चा आती है :—

“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा
आदित्यानां

अमृताय नाभि : प्रनुवोचंचिबितुषे

जनायं गां अनागां अदितिं वधिष्ठा

इन शब्दों द्वारा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि गाय के प्रति आरम्भ से ही इस देशवासियों की वह भावना रही है जोकि एक पुत्र को अपनी माता के प्रति रहती है, एक भाई की अपनी बहिन के प्रति रहती है और एक बाप की अपनी बेटी के प्रति रहती है। नालायक से नालायक बाप भी दुनिया को बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी पुत्री को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। नालायक से नालायक भाई दुनिया को बुरी निगाह से देख सकता है लेकिन अपनी बहिन को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। नालायक से नालायक पुत्र दुनिया को बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी मां को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। जो पवित्र दृष्टि एक पुत्र की अपनी माता के लिये है, एक भाई की अपनी बहिन के लिये है और एक पिता की अपनी पुत्री के लिये है, वही पवित्र दृष्टि है, यहां के देशवासियों की गऊ माता के प्रति सदा से रहती हुई चली आई है। इस बात को कहते हुए मैं गौरव अनुभव करता हूँ कि गऊ हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का एक बहुत बड़ा आधार है। सन् १८५७ में जब हमारे देश में क्रान्ति की चिंगारी उठी थी तो उस चिंगारी के पीछे जहां और कई कारण थे वहां उनमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि भारतीय सिपाहियों ने बंदूकों को हाथ लगाने से इसलिये इंकार कर दिया था कि कारतूसों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। सन् १८५७ के बाद आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोकर्षणा निधि नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि यह भावना प्रतिपादित की थी कि जिस राजा के राज्य में गऊ का वध होता है उस राज्य के राजा और प्रजा दोनों का विनाश हो जाता है। यह उसमें स्पष्ट भाषा में लिखा था। भगवान तिलक ने भी जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की थी कि जिस दिन यह देश स्वतंत्र हो जायेगा तो पांच मिनट में

पहली कलम से जो कानून बनाया जायेगा उसमें गोवध के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। गांधी जी के सद्बन्ध में मैं जरा विस्तार से कहना चाहता हूँ क्योंकि इस देश की शासन सत्ता गांधी जी को अपना एक आदर्श पुरुष मान कर चलती है। गांधी जी ने २५ जनवरी, १९२५ को अपने विचार व्यक्त करते हुए हरिजन में लिखा था कि मेरे विचार के अनुसार गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं है। कई बातों में तो मैं इसे स्वराज्य के प्रश्न से भी बड़ा मानता हूँ। मेरे नजदीक गोवध और मनुष्य वध दोनों एक समान हैं। पीछे एक ऐसा समय भी हमारे देश में आया था जब खिलाफत आन्दोलन की सहानुभूति में भातीय नेताओं एक बड़ा वक्तव्य दिया। जब उसके बारे में गांधी जी से जाकर कुछ लोगों ने पूछा कि बापू यह प्रश्न तो दूसरे देश का है और खिलाफत आन्दोलन में भारतवर्ष को सहयोग देने के लिये आप क्यों प्रेरणा दे रहे हैं तो उस समय गांधी जी ने जो उनको उत्तर दिया था वह ९ अक्टूबर सन् १९२१ को उनके पत्र में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था कि मैं मुहम्मद अली की खिलाफत मीथ्या का इसलिये साथ दे रहा हूँ ताकि वह मेरी गाय मीथ्या को बचायें। गांधीवादी सरकार जोकि गांधी जी को अपना आदर्श मान कर चलती है मैं नहीं समझता कि उनके उन शब्दों को क्यों भूल जाती है और आज अशोक होटल में गोमांस के प्रयोग को क्यों नहीं समाप्त कर देती? मैं नहीं समझता कि इस गांधीवादी सरकार द्वारा अशोक होटल में गोमांस के प्रयोग के ऊपर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे देश की सरकार प्रजातंत्र के आधार पर बनी हुई सरकार है और एक प्रजातंत्रीय सरकार का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह प्रजा की भावनाओं का

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

भादर करे। इस देश का एक बहुत बड़ा मत इस ओर है कि गोवध बन्द हो। मैं नहीं चाहता कि इस देश में गोवध हो। जब इस देश की एक बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की है तो प्रजा की भावना को क्यों ठुकराया जाता है। प्रजा की भावना को ठुकराने का अभिप्राय तो यह हुआ कि वह फिर प्रजातंत्र नहीं रह गया क्योंकि जिसमें से प्रजा निकल गयी वह खाली तंत्र रह जायगा। प्रजा उसमें साथ नहीं रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन जरा मुगल शासन के ऊपर तो दृष्टि डालिये। कभी जो मुगलकालीन शासक इतने क्रूर माने जाते थे उन्होंने भी सर्वसाधारण की भावनाओं का आदर किया था। आज भी भूपाल के पुस्तकालय में बाबर का वसीयतनामा लिखा हुआ रक्खा है। उसने मरने से पहले अपने पुत्र हुमायुं के नाम जो वसि-तनामा लिखा था उसमें दो बातें बाबर ने विशेष रूप से लिखी थीं। हुमायुं को सम्बोधित करते हुए उसने लिखा था कि अगर भारतवर्ष में तुम अपनी सलतनत को ज्यादा देर तक कायम रखना चाहते हो तो तुम्हें दो काम करने चाहिये। एक तो भारतवर्ष में गोवध को कभी जारी मत करना और दूसरे हिन्दुओं के धर्म मंदिरों को तुड़वाने के लिये कभी प्रोत्साहन मत देना जब मुगल शासकों ने जनता की भावनाओं का आदर किया और उनकी उपेक्षा नहीं की तो यह गांधीवादी सरकार जो कि एक प्रजातंत्र सरकार होने का दावा करती है और आये दिन दुहाई देती है वह प्रजा की इतनी बड़ी भावना की किस प्रकार से उपेक्षा करती चली जाती है ?

मुझे तो यह कल्पना करके कष्ट होता है कि आज कहीं गांधी जी जीवित होते और अपनी आँखों से नई दिल्ली के इस वातावरण को देखते और देखते कि भारत सरकार के संरक्षण

में चलाये जा रहे अशोका होटल में गोमांस का प्रयोग होता है, तो उनकी आत्मा कराह उठती। इस संबंध में मैं आप का ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जहाँ के लोगों और शासन की भावनार्ये सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से गाय के बारे में हम से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ यह नियम बना दिया है कि सप्ताह में तीन दिन गोमांस के भक्षण पर प्रतिबन्ध रहेगा। लेकिन हमारी सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। एक ओर तो हमारी सरकार कहती है कि देश में अन्न की वृद्धि हो और खेती बढ़नी चाहिये, लेकिन दूसरी ओर इस गांधीवादी सरकार के द्वारा देश में गोमांस के भक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार के द्वारा उन भावनाओं को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है, जो कि इस देश की संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप हैं।

मुझे और भी आश्चर्य होता है कि सरकार गोमांस संबंधी आंकड़ों को छिपाना क्यों चाहती है। इस सदन में १६ फरवरी, १९६१ को यह पूछा गया कि हमारे देश में गोमांस का उत्पादन और खपत कितनी होती है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुये उपकृषि मंत्री, श्री कृष्णप्पा, ने कहा कि मीट मार्केटिंग संबंधी रिपोर्ट (१९५५) के अनुसार १९४९ में इस देश में गोमांस के उत्पादन और खपत की मात्रा ६५,८४७ टन थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि १९४९ के बाद से देश में गोश्त के उत्पादन और उसकी खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इस लिये हमने कोई आंकड़े नहीं रखे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार इन आंकड़ों को छिपाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि जब देश की जनता इन आंकड़ों को देखेगी, तो सरकार के खिलाफ उसकी भाव

नायें उभरेगी और इसीलिये १९४६ के बाद के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

जहां तक अशोका होटल के संबंध में आंकड़ों का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जीको इसके लिये तो धन्यवाद देता हूँ कि जब तीन दिन पहले मैंने उन से इस संबंध में जानकारी लेनी चाही, तो उन्होंने बड़ी शीघ्रता से वह जानकारी उपलब्ध कराई। इसके लिये मैं उन के और उनके विभाग का आभारी हूँ। यों तो अशोका होटल अक्तूबर, १९५६ से काम कर रहा है। वहां के पुराने आंकड़ों को छोड़ कर मैं अपेक्षतया हाल ही के आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूँ।

१९५८-५९ में अशोका होटल में १४,३०० रुपये, १९५९-६० में १५,७३९ रुपये और १९६०-६१ में १७,९८८ रुपये के गोमांस की खपत हुई। इसके अतिरिक्त इन तीन सालों में वहां पर गाय की २,४१६ जीमें मंगाई गई, जिन की कीमत २,०१८ रुपये थी। इस प्रकार बोज आदि की कीमत सम्मिलित कर वहां पर कुल मिला कर ५१,६२१ रुपये के गोमांस की खपत हुई। अगर इसी अनुपात से पिछले वर्षों के आंकड़े भी जोड़े जायें, तो मेरा अनुमान है कि अब तक अशोका होटल में लगभग एक लाख रुपये के गोमांस की खपत हो चुकी है, जो कि हमारे देश के लिये एक लज्जा की बात है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने सम्राट अशोक को अपने राज्य का आदर्श माना है। उसके चक्र को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया है, उसकी मुहर को राज्य की मुहर में स्थान दिया है और, उपाध्यक्ष महोदय, उसका आदर्श वाक्य, "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" इस सदन में आप के मस्तक के ऊपर बिजली के झररों में चमक रहा है। लेकिन यह कितने दुख की बात है कि जिस अशोक को हम स्थान स्थान पर आदर्श मान कर चले हैं, उसके नाम पर जो होटल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गोमांस का प्रयोग किया जाये।

यदि आज से दो बरस बाद कोई शराब की दुकान खोले और उसका नाम "गांधी मदिरालय" रख दे तो उससे जितना कष्ट हमको होगा, उतना ही कष्ट आज अशोका होटल में गोमांस का प्रयोग देख कर होता है। इस अवस्था में तो उसका नाम औरंगजेब होटल रख दिया जाये, तो ठीक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तारीख में लिखा है कि औरंगजेब शराब नहीं पीता था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज गोमांस के प्रकरण में ही चर्चा कर रहा हूँ।

अन्त में यह कह कर मैं समाप्त करूंगा कि हमारे हिन्दू धर्म शास्त्रों में एक पौराणिक कथा आती है कि जब कोई आत्मा स्वर्ग में जाये, तो उसको गाय की पूंछ को पकड़ कर पहले वेतरणी नदी को पार करना पड़ता है। उस वेतरणी नदी के विषय में सब ने सुना हुआ है, किन्तु देखा नहीं है, लेकिन एक वेतरणी यहां भी है, जिस को सबने देखा सुना है। मेरा तात्पर्य यह है कि हर पांच साल के बाद निर्वाचन की जो वेतरणी आती है, हमारे कांग्रेस के मित्र गाय के सन्तान बैलों की पूंछ पकड़ कर उस वेतरणी को पार करते हैं। इसलिये उन के लिये यह उचित है कि वे देश में गोवध को बन्द करायें और अशोका होटल में गोमांस के प्रयोग और प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगायें।

श्री जगदीश अबरथी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से राज्यों में बहुत से स्थानीय निकायों ने यह कानून बना रखा है कि उन के यहां गोवध नहीं हो सकता है और इसी प्रकार दिल्ली के स्थानीय निकायों का भी यह कानून है कि यहां पर गोवध नहीं हो सकता है, जिस का अर्थ यह है कि यहां पर गोमांस का प्रयोग न किया जाये और लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आघात न किया जाये? स्टेट्समैन के द्वारा टेंडर मांग कर, कलकत्ता से गोमांस मंगा कर और अशोका होटल में उस का

[श्री जगदीश भवस्थी]

प्रयोग करके क्या सरकार यहां के स्थानीय निकायों के उन कानूनों की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रही है ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि देश में इस प्रकार का कानून बने कि गाय, बकरी आदि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, उनका वध न किया जाये, क्योंकि इससे देश को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा ।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : जहां तक गोवध का संबंध है, उसका हमारे देश की आजादी के साथ निकट का संबंध रहा है । माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि जब यहां अंग्रेजों का राज्य था.

उपप्रश्न महोदय : हाफ-एन-आवर डिस्कशन में माननीय सदस्य सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं ।

श्री बलराज मधोक : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं ।

उस समय जितने भी देशी राज्य थे, अंग्रेजों के साथ उनकी जो संधियां होती थीं, उनकी पहली शर्त यह होती थी कि हमारे राज्य में गोवध नहीं होगा । जब पारसी गुजरात में आये, तो उनके सामने पहली शर्त यही रखी गई कि आप रहें, लेकिन यहां पर गोवध नहीं होगा । इसी प्रकार महाराजा रणजीत सिंह के यहां जो फ्रेंच आफिसर्स थे, उनके साथ भी यही शर्त थी कि गोवध नहीं किया जायगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में गोवध का न होना आजादी का प्रतीक और निशानी रहा है, तो फिर आजाद भारत में गोवध चलता रहे, यह कहां तक उचित है ।

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): Mr. Deputy-Speaker, it will be helpful to me if I ask the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri who has raised this discussion to let

me know when he said 'shameful' whether he dislikes the serving of beef to customers of the Ashoka Hotel on religious grounds or on economic grounds. It is not clear from what he said.

Mr. Deputy-Speaker: On both grounds, he said.

Shri Anil K. Chanda: The facts are these. So far as the municipal bye-laws are concerned, the slaughter of cattle, cows, is prohibited. And the other fact is that all hotels which serve international clientele serve beef. Ashoka Hotel is one of such hotels. And, as such, it serves beef to such customers as call for it. It is not as if it is a part of the normal menu of the Hotel. But it is available and anyone who would like to have it could have it.

You are aware, Sir, that there are certain types of food which are very popular with western people. Beef-steak, for instance, is a very popular item of diet in the daily menu of the western people.

With regard to the economic aspect, I would first like to refer the hon. Member to a very big debate we had had in this House when he was not a Member here on a Bill moved by Seth Govind Dasji for the protection of cows. I believe it was the only occasion when the Attorney-General was called upon to give his opinion on the legal aspect of a proposed law, whether prohibition of the slaughter of cattle was permissible under the law. And, the Prime Minister also intervened in that debate.

I would like to refer to the opinion which was given by the Attorney-General on the Indian Cattle Preservation Bill. His categorical opinion was that it was not within the competence of the Central Government to pass a law prohibiting the slaughter of cattle. It was a State subject and it was for the States themselves to

decide whether they would have it or not?

A committee was appointed by the Government of India to enquire into the steps to be taken to prevent killing of milch cows; and the report was submitted in 1955. The report says:

"All those who advocate the imposition of a total ban on slaughter do not make any reference to the limited resources of the country. If the slaughter of cattle is banned India will have to face the problem of wild cattle."

There were also cases before the Supreme Court and the Supreme Court gave the judgment that a total ban on the slaughter of the she-buffaloes, bulls, bullocks, after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public. Similarly, in 1960, in another judgment the Supreme Court said that it would tantamount to interfere with the Fundamental Rights of citizens—that is, with regard to the prohibition of the slaughter of cattle.

The hon. Member stressed the importance of cattle in an agricultural economy such as ours. Supposing, for argument's sake, there was a total ban on the slaughter of cattle and the importation of tinned beef was permitted, would he object to that? That will not affect the economics of this country, so far as agricultural production is concerned. But his Hindu conscience and not economics, has come into play. It is on the basis of his Hindu conscience that really he bases his arguments. The pith and substance of his motion, I would say, is that the Hindu conscience is stirred by the fact that beef is served in a hotel which is almost entirely Government-owned. As an orthodox Hindu he feels that his religion prohibits the sale or eating of beef and

therefore he feels that it must be prohibited.

I submit, Sir, that a large section of our people belong to another religion according to the tenets of which pig's meat is prohibited. There are also large sections of our people for whom killing of any animal of any sort is prohibited. So, it comes to this. If we are going to have any hotels, we cannot supply beef because Hindu conscience is disturbed; we cannot for a similar reason serve pig's meat—whether it is ham or pork or bacon or anything else. Similarly, to save Jain conscience, we cannot supply any meat whatsoever. I do not know if the hon. Member would go that far. Then, if you take into account the researches of J. C. Bose, plant world also has got life. Therefore, we will have to go without any food whatsoever. I think it would be wrong on our part to be moved by sentiment, in these things. He is a very great scholar in Hindu Shastras and Sanskrit. I do not know any Sanskrit and all the Hindu Shastras which I have read are through Bengali. Only today I looked up an authoritative translation of Mahabharata in Bengali and I find that there is reference, in several places, to ancient rishis eating beef. I am told that there is one word in Sanskrit—*Goghana*—a guest for whom cattle is slaughtered.

Shri Bal Raj Madhok: He is wrong there.

Shri Anil K. Chanda: I may be wrong; I have already said that I do not claim to know Sanskrit well. But this is what I have read in Bengali books by one who is considered a very considerable scholar in Sanskrit and in Hindu Shastras.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष कहोषय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह जिस शब्द के बारे में कह रहे हैं, उसको हमारे यहाँ संस्कृत में "गोधन अतिथि" करके लिखा हुआ है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

यहाँ पर "गोघ्न" का अभिप्राय "वाणी" से है। यानी अगर किसी के यहाँ कोई अतिथि आये तो उसके आने में वाणी को नम्र करके बोला जाय।

जब किसी के यहाँ कोई अतिथि, प्रणी जाता है तो उसके स्वागत के लिए वाणी को नम्र किया जाता है, उसके लिए यह आया है। इसका अभिप्राय गाय मारना नहीं है। इसका अभिप्राय अतिथि से है जिसके स्वागत के लिए वाणी को नम्र बनाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह कह रहे हैं कि किसी बंगाला स्कालर ने उसका तर्जुमा दूसरी तरह से किया है।

Shri Anil K. Chanda: It is one scholar pitted against another scholar. Anyway we are not really bothered much about what is in the Shastras; we are dealing with the facts of today. It is a fact that a large percentage of our people do take beef. The poorer sections of the Muslim community take beef because it is about the cheapest meat. I submit that it will tantamount to interference in their Fundamental Rights if we are to prohibit the use of beef.

So far as the hotel is concerned, the position is very clear. It is a Government hotel; and we do not claim any special privileges because it is a Government hotel. But I submit that we should not be put to any special difficulty only because it happens to be a Government hotel. We are not having a monopoly business; we are competing with other hotels. A lot of Government money has gone into it and therefore it has got to be run smoothly and efficiently.

The hon. Member referred to the rise in the consumption of beef in the hotel. The rise has not been of any

considerable amount because the hon. Member has forgotten that in the beginning, in the earliest period, we had hardly 80 clients a day. Today we are having about 340. Naturally, with a larger number of clients in the hotel, the consumption of beef will also go up. But that is nothing when compared to the increase in the consumption of other types of meat like mutton or poultry. In 1958-59 the cost of beef purchased by the hotel was Rs. 15,840; in 1959-60, it was Rs. 17,120 and in 1960-61, it was Rs. 19,659. If you take into consideration the growing popularity of the hotel and the larger number of people who are coming to this hotel—very often the accommodation in the hotel is absolutely full to the brim—it is a very small increase.

The hon. Member in his notice to you, had said that because of the use of beef in the hotel, the sale of beef in other hotels in Delhi has gone up. I do not know how the hon. Member has collected the statistics. I myself have failed to collect the statistics in spite of the Governmental agencies whose help I sought in this matter. I think it is just a surmise on the part of the hon. Member to say that because in the Asoka Hotel beef is supplied the sales of beef in Delhi as a whole have gone up. Before the Asoka Hotel was started, there were other hotels in Delhi who supplied beef. It is nothing very unusual or new.

Then the hon. Member referred to Government parties. He asked whether in Government parties wine is not used and whether beef is also prohibited. So far as Government parties are concerned, just as wine is not served, similarly no beef is served. Beef is an item in the menu which is supplied only when specially ordered by the client.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Why did they stop wine here?

Shri Anil K. Chanda: Under the law in Delhi, you cannot supply wine to guests in public rooms.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Why did they make this law in Delhi?

Shri Anil K. Chanda: As I said, the law cannot satisfy all opinions. In law, we have no right really to prohibit the use of beef. The State can pass a law prohibiting the slaughter of cattle, but that does not mean that because there is a ban on the slaughter of cattle there is an automatic ban on the eating of beef. I pose this question: suppose we start importing beef—frozen beef or tinned meat—from Australia, then the law prohibiting the slaughter of cattle cannot really stop that.

So far as intoxicating liquor is concerned, you are aware that under

the law of the Delhi State, a special permit is required if a foreigner has to consume intoxicating drinks in public rooms, and that drink is also kept only in his own room. The Asoka Hotel is run exactly on the same principles and under the same rules as other hotels, quite a few of which are in Delhi. So, I submit that only because Asoka Hotel happens to be a Government hotel, it should not be put to any special difficulties. The rules and the laws are the same as for other hotels. The Asoka Hotel will carry on the work in the same manner as other hotels are carrying on.

17.29 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 28, 1961/Vaisakha 8, 1883 (Saka).
